

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक—प. 4(52)नविवि/II/2021—06640

जयपुर, दिनांक : यथा हस्ताक्षरित

आदेश

राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा की वर्ष 2024–25 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में पदोन्नति हेतु पात्रता जोन के अधिकारी श्री सिद्धार्थ मीणा (एस.टी.), सहायक अभियंता (विद्युत) के विरुद्ध एक विभागीय जाँच अन्तर्गत नियम 16 सीसीए के तहत कार्मिक विभाग स्तर पर विचाराधीन होने के कारण श्री सिद्धार्थ मीणा, (एस.टी.) सहायक अभियंता से अधिशाषी अभियंता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति की अभिशंषा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषानुसार बन्द लिफाफा (शील्ड कवर) में रखी गयी थी।

पात्रता सूची में क्रम संख्या 01 पर अंकित श्री सिद्धार्थ मीणा को सेवा के समय की वरिष्ठता के आधार पर कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 13.09.2023 के बिन्दु संख्या 02 हेतु चिन्हित अनारक्षित वर्ग की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति प्रदान किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उक्त जाँच में कार्मिक विभाग विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(133)कार्मिक/क-3/जांच/2023 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा श्री सिद्धार्थ मीणा, सहायक अभियंता पर अधिरोपित आरोपों में भविष्य में अधिक सावचेत रहकर कार्य करने की चेतावनी के साथ विचाराधीन विभागीय जांच को खत्म किया गया है, जिसके फलस्वरूप श्री सिद्धार्थ मीणा, सहायक अभियंता की पदोन्नति संबंधी शील्ड कवर में रखी अभिशंषा को खोला जाकर इन्हें अधिशाषी अभियंता (विद्युत) के पद पर वर्ष 2024–25 की रिक्तियों के विरुद्ध एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री सिद्धार्थ मीणा, सहायक अभियंता की पदोन्नति रिक्ति दिनांक 01.05.2024 से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उक्त अभियन्ता अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

(डॉ. राष्ट्रदीप यादव)

शासन उप सचिव—तृतीय

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन उप सचिव—तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
4. संबंधित अधिकारी मार्फत सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—तृतीय

